राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ में हुई शामिल

राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शुक्रवार को एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंची। मुर्मु सीकर रोड़ स्थित नींदड़ में 1008 कुण्डीय हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा में शामिल हुई।

- राष्ट्रपति का एक दिवसीय जयपुर दौरा
- स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में हवन में दी पूर्णाहुति
- राष्ट्रपति ने देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि के साथ विश्वकल्याण की कामना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में पूर्णाहुति दी।

उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में पूर्णाहुति दी।

इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे।इस दौरान राष्ट्रपति ने महायज्ञ में पूजा-अर्चना कर देश-प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। इस दौरान राष्ट्रपति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर उनका अभिनंदन भी किया। इससे पहले राष्ट्रपति के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चित्रांग' में कैनवास पर उकेरी यात्रा

जयपुर। शहर के वरिष्ठ कलाकार, 70 वर्षीय जगदीश चंद्र ने अपनी सोलो आर्ट एग्जिबिशन 'चित्रांग' में प्रकृति, यात्रा और इतिहास से प्रेरित कृतियों के माध्यम से दर्शकों को एक दृश्यात्मक यात्रा पर ले जाने का प्रयास किया है।

आमेर किले की लम्बी दीवारें, दीवान-ए-खास की भव्यता, राधा-कृष्ण के श्रृंगार, बाजीराव-मस्तानी की प्रेम कथा और प्रकृति की मनोहारी छवियाँ उनकी पेंटिंग्स में जीवंत रूप से उभरती हैं। जवाहर कला केंद्र की सुदर्शन आर्ट गैलरी में शुक्रवार को उनकी पाँच दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 25 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अलीशा खान पठान व CHELSI ROTE से बदलकर CHELSI ROAT पुत्री श्री शराफत खान निवासी नबीपुरा, बांसवाडा बांसवाडा रूरल, राजस्थान रख लिया है भविष्य में मुझे CHELSI ROAT के नाम से ही जाना पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम रिज़वान अली सिद्दीकी से बदलकर रिज़वान अली पुत्र तौकीर अली रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी ए-7, मीठी कोठी का रास्ता, सूरजपोल, मोहम्मदी हॉस्पिटल, जयपुर

मैंने अपनी पुत्री का नाम प्रियागनि से बदलकर प्रियागनि यादव पुत्री भवेश यादव रख लिया है भविष्य में इसी इसी नाम से जाना जावें। निवासी 38-ए, कृष्णा कॉलोनी, नया खेड़ा, जयपुर, राजस्थान

I have changed my name from Muskan Nagra to Muskan W/o Bilawal Khan R/o M-2/8, LIC Flats, Sector-6, Vidyadhar Nagar, Jaipur, For all purpose.

I have changed my name Heena Patni to Heena Jain for all future purpose. Address 90/52 Patel Marg, Mansarovar, Jaipur.

खोया पाया

जेडीए योजना-आश्रय विहार, जयपुर के प्लॉट नं. 531 का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है कृपया मिलने पर सूचित करें। हीरालाल धानका पुत्र नारायण धानका-9829886317

मेरी प्रथम सेमस्टर की ग्रेड शीट जो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा B.Arch की डिग्री वितरण दिवस 19.09.2024 को जारी की थी, कहीं गिर गई, मिलने पर संपर्क करें सौरभ सिन्धी-9813398051

हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चन्दन विहार के प्लाट नं. 17 का मूल जे.डी.ए. से जारी पट्टा, साईट प्लान व स्टाम्प पेपर जयपुर में खो गये है सूचित करें-देवी सिंह शेखावत मो. 9950029592

हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना शिव विहार, चन्दलाई, तहसील चाकसू के भूखण्ड संख्या 9 व 12 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें। (बसन्त कुमार टाक 9829063222)

अचरोल गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना त्रिवेणी नगर-I, आगरा रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या 4 का सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, रसीद व साईट प्लान कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें। (राम सिंह मीणा 9530042000)

25 पौधे लगाने की शर्त पर 15 साल पुराना दावा बहाल

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बेदखली और वसूली से जुडे दावे को निचली अदालत की ओर से पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण पन्द्रह साल पहले खारिज दावे को सशर्त बहाल कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह सार्वजनिक स्थान पर 25 छायादार पौधे लगाकर उसकी देखभाल करेगा। वहीं अदालत ने प्रतिवादियों को दस हजार रुपए भी अदा करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश रशीदन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पौधारोपण से जुड़ी फोटो निचली अदालत में पेश करेगा और इसकी देखभाल का शपथपत्र भी देगा। यदि इस शर्त की पालना नहीं की गई तो निचली अदालत इसकी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करेगा।

अधिवक्ता मोहम्मद अनीस ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने साल 1989 में शहर की निचली अदालत में बेदखली और वसूली का दावा किया था। साल 1994 में अदालत ने मामले में सुनवाई के बिंदु तय करते हुए प्रकरण को साक्ष्य के लिए रखा। याचिका में कहा गया कि सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने 25 अक्टूबर, 2010 की तारीख दी थी, लेकिन भूलवश डायरी में यह तारीख 25 नवंबर अंकित हो गई। जिसके कारण तय तिथि पर सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हो सका।

एआई के बारे में बताया

जयपुर। बनीपार्क स्थित एसएसजी पारीक पीजी महिला महाविद्यालय में आईक्यूएसी के तहत राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इम्पेक्ट आफ एआई आन ह्यूमन सोसायटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषयक दो दिवसीय कॉन्फ्रेंका आयोजन किया। शुभारंभ मुख्य अतिथि राजस्थान वित आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार गर्ग ने किया।

नाम परिवर्तन मैं GYANA DEVI मेरी एक पॉलीसी PNB METULE में है POLICE NO. 21745444 जिसमें मेरे पिताजी का नाम SARVAN LAL PRAJAPAT है तथा मेरे PAN में SHARWAN LAL KUMAWAT है एवं मेरे पति का नाम पॉलिसी में SAUJI RAM SHYOJIRAM है तथा पेन व आधार में SHYOJI RAM है मेरा जन्म तिथी 03.02.1963 है एवं पॉलीसी में 05.03.1963 है।

सूचना मैं कृष्ण कुमार पांचाल पुत्र स्व. श्री गंगासहाय पांचाल निवासी दौसा अपने पुत्र अभिषेक पांचाल जो कि हमसे अलग रह रहे है को मैं अपनी चल अचल सम्पत्ति से एवं हमारी जिम्मेवारी से बेदखल कर रहा हूँ। आज के बाद इनका हमारे व हमारा इन पर कोई हक अधिकार नहीं होगा। भविष्य में इनके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवहार रखता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: F-JDA/PRN-North/2026/D-10 **आम सूचना**

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271627 दिनांक 15/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम
1.	Roop Narain Rao S/o Sh. Ghasi Ram	श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री हनुमान सिंह	97	149.62 SQ. yard	Co-operative	Ganga Sagar-PRN Sector/Block-

सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta)
कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड एवं पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

बेशकीमती बंगलों को लेकर पूर्व राजपरिवार के खिलाफ देरी के आधार पर दावा खारिज

जयपुर। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6, महानगर प्रथम ने शहर के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 15 व बंगला नंबर 16 के स्वामित्व को लेकर पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर दावे को देरी से पेश करने के आधार पर खारिज कर दिया है। अदालत ने यह आदेश संपदा निदेशालय की ओर से पेश दावे पर सुनवाई करते हुए दिए। पीठासीन अधिकारी मुकेश परनामी ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने इन संपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 112 के तहत तीस साल की अवधि में कोई कार्यवाही करना प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह को संपत्ति खाली करने का नोटिस तीस साल बाद मई, 2003 में जारी किया गया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश दावे में पद्मिनी देवी, दिया कुमारी और पद्मनाभ सिंह को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि 28 दिसंबर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रभावी होने से देशी राज्य के शासकों को दी गई मान्यता को समाप्त कर उनकी निजी पॉलिसियों का अंत किया गया था। ऐसे में बंगला नंबर 15 व 16 स्वामित्व राज्य सरकार का हो गया। इसलिए इन बंगलों का साल 1971 से दावा पेश करने तक एक मुश्त दस करोड रुपए और बाद में प्रतिमाह दस लाख रुपए के हिसाब से इसका किराया दिलाया जाए। जिसका विरोध करते हुए पूर्व राज परिवार की ओर से अधिवक्ता रमेश शर्मा ने कहा कि दावे में राज्य सरकार वाद कारण 1971 में उत्पन्न होना बता रही है। ऐसे में सरकार परिसीमा अधिनियम के तहत साल 2002 तक ही इस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकती थी।

ऐसे में राज्य सरकार का यह दावा अवधि की मियाद से बाहर होने के कारण खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को तय अवधि के बाद पेश होने के आधार पर खारिज कर दिया है।

भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के दुष्प्रचार का खंडन करें : अरूण सिंह

- भाजपा ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार तो रूकी बिचौलियों की कमाई, कांग्रेस के शुरू हुआ पेट में दर्द : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वीबी जी रामजी जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने अभियान की विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीबी-जी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस और उसकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी तक देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा जनभावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है और वे बिचौलियों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह कांग्रेस के इस षड्यंत्र का मजबूती से खंडन करे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के झूठे प्रचार का खंडन करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए इस कानून के प्रति जनता को उत्सव के भाव के साथ जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि एक ओर झूठ का खंडन और दूसरी ओर जनजागरण का उत्सव-यही हमारी रणनीति होनी चाहिए।

राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने कार्य दिवस बढ़ाए हैं। कांग्रेस यह भी दुष्प्रचार कर रही है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, जबकि देश में सबसे अधिक योजनाओं के नाम बदलने का काम स्वयं कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा, फसल की बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों का ब्रेक देने का निर्णय मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। जिससे फसल कटाई और बुवाई के समय देश के किसानों को पर्याप्त मजदूर मिल पाएंगे। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस जितना अधिक प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करेगी, जनता उतनी ही मजबूती से कांग्रेस को जवाब देगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीबी जी रामजी जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो हर योजना में कमी निकालने का काम करते हैं। चाहे वह सीएए हो, ईवीएम का मुद्दा हो या फिर एसआईआर-कांग्रेस हर विषय पर भ्रम फैलाने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अब कांग्रेस को जी रामजी नाम से भी आपत्ति है। हमने तो राजस्थान से 'रा' और मध्यप्रदेश से 'म' लिया और महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी का नाम स्वतः ही 'राम जल सेतु' हो गया। यदि कांग्रेस को राम जी से ही दिक्कत है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो होना है, वह होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश धीरे-धीरे रामराज्य की ओर बढ़ रहा हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मनरेगा के नाम पर एक भी स्थाई काम आप को किसी गांव में देखने को नहीं मिलेगा। मनरेगा में स्थाई काम ना होना और बिना किसी योजना के कामों की स्वीकृति होना भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करता है। कांग्रेस के शासनकाल में एक ही परिवार के नाम पर अनेक योजनाओं के ना केवल नामकरण किए गए, बल्कि 600 से अधिक संस्थाओं एवं योजनाओं के नाम एक ही परिवार पर रखकर जिस तरह आजादी के आंदोलन में शामिल हुए स्वतंत्रता सैनानियों का अपमान किया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक: एफ.55 ( ) वि. जोन/न.नि.ज./2026/3492
सार्वजनिक सूचना दिनांक 16/1/2026

भूखण्ड सं. डी.-32, तारा नगर डी, झोटवाडा, जयपुर (म्यूचुअल गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मीरा देवी कटारिया पत्नी श्री सांभर लाल कटारिया के पक्ष में क्षेत्रफल 422.22 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। श्री मीरा देवी कटारिया पत्नी श्री सांभर लाल कटारिया ने जरिये मुख्यारनामा आम दिनांक 05/04/2004 को उक्त भूखण्ड का हिस्सा श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी को मुख्यारआम नियुक्त कर दिया। श्री मीरा देवी कटारिया ने संशोधन पत्र दिनांक 12/03/2013 को पूर्व में किये गए मुख्यारनामा में भूखण्ड का विवरण भूखण्ड संख्या डी-32 (उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 106.32 वर्गमीटर का संशोधन किया गया। श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी पुत्र श्री कानाराम चौधरी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13/01/2005 को भूखण्ड संख्या डी 32 का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 106.32 वर्गमीटर श्री सुनील मैथ्यू पुत्र श्री ए. मैथ्यू एवं श्रीमती जि.जी. एस. मैथ्यू पत्नी श्री सुनील मैथ्यू को विक्रय कर दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र क्रमांक डी-936 दिनांक 06/04/2017 को भूखण्ड संख्या डी-32 (उत्तरी भाग), तारानगर-डी, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल 127.47 वर्गगज का उप विभाजन/नाम हस्तांतरण पत्र श्री सुनील मैथ्यू पुत्र श्री ए. मैथ्यू एवं श्रीमती जि.जी. एस. मैथ्यू पत्नी श्री सुनील मैथ्यू के नाम जारी किया गया। श्री सुनील मैथ्यू पुत्र श्री ए. मैथ्यू की मृत्यु दिनांक 11/05/2021 के उपरान्त श्री सुजील एस. मैथ्यू एवं श्री सनोज एस. मैथ्यू पुत्रान स्व. श्री सुनील मैथ्यू ने जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29/09/2025 को उक्त भूखण्ड पर से अपना हक श्रीमती जि.जी.एस. मैथ्यू पत्नी स्व. श्री सुनील मैथ्यू के पक्ष में हकत्याग कर दिया। श्रीमती जि. जी. एस. मैथ्यू पत्नी स्व. श्री सुनील मैथ्यू द्वारा भूखण्ड संख्या डी-32 (उत्तरी भाग), तारानगर-डी, झोटवाडा, जयपुर (म्यूचुअल गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्रफल 127.47 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। **उपायुक्त विद्याधर जोन नगर निगम जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1082 चूंकि प्रार्थी श्री KISHORE KUMAR UDHWANI, FLAT 501, FOREST VIEW RESIDENCY, MODEL TOWN, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नीरज उधवानी चैरिटेबल ट्रस्ट FLAT 501, FOREST VIEW RESIDENCY, MODEL TOWN, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

1550 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नित की सौगात

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में कर्मचारी कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चिकित्सा विभाग सयमबद्ध भर्तियों के साथ ही कार्मिकों को समय पर पदोन्नित देने सहित कर्मचारी कल्याण के प्रभावी उठा रहा है।शुक्रवार को 1 हजार 550 से अधिक चिकित्सकों को पदोन्नित प्रदान किए जाने की अभिशंषा की गई।

'द एज ऑफ़ अरविंदो' पुस्तक का विमोचन

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत आज क्लार्क अम्बर के सूर्या महल हॉल में आयोजित सत्र द एज ऑफ़ अरविंदो अत्यंत सफल एवं विचारोत्तेजक रहा। भारत मूल के अमेरिका के निवासी डॉ. परीक्षित सिंह के इस विशेष सत्र में उनकी नवीन पुस्तक द एज ऑफ़ अरविंदो का विमोचन किया गया। सत्र का संचालन संवाद शैली में हुआ, जिसमें नमिता दाविदयाल और शौनक ऋषि दास ने डॉ. सिंह से गहन विमर्श किया।

खचाखच भरे सभागार में इस सत्र का केंद्रीय विषय अरविंदो का दर्शन रहा, जिसमें डॉ. परीक्षित सिंह ने उनके दर्शन के पाँच प्रमुख सूत्रों/मोटिफ्स (– प्रमुख जीवन पक्ष) को विस्तार से प्रस्तुत किया। चर्चा में यह रेखांकित किया गया कि अरविंदो का चिंतन केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन के समग्र विकास व्यक्ति, समाज और राष्ट्रकूके लिए एक व्यावहारिक दर्शन है।

डॉ. सिंह ने भातीय दर्शन के संदर्भ में वेदों पर अरविंदो के विचार, आधुनिक समाज की चुनौतियाँ, श्रीकृष्ण के कर्मयोग एवं चेतना-दर्शन, तथा भारत के भविष्य के लिए अरविंदो की दृष्टि पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही, आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नोबेल पुरस्कार विजेताओं (नोबेल लॉरिएट्स) द्वारा अरविंदो के दर्शन पर व्यक्त विचारों का भी उल्लेख किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका चिंतन आज भी विश्व स्तर पर प्रासंगिक और प्रेरक है।

इस अवसर पर प्रख्यात भारतीय राजनेता, दार्शनिक एवं जम्मू-कश्मीर रियासत के टाइटुलर महाराजा, पद्म विभूषण डॉ. करण सिंह, विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सत्र की विषय वस्तु से प्रभावित होकर अपने दार्शनिक विचार साझा किए।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
उच्च माध्यमिक 2026 की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि बढ़ाये जाने बाबत्

बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 20.12.2025 के क्रम में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2026 तक बढ़ाई जाती है।
सचिव

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1180 चूंकि प्रार्थी श्रीमती शीला मीणा बी-8, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, टोंक रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ग्रामीण सहारा विकास संस्था, बी-8, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, टोंक रोड, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, प्राथ. स्वा. केन्द्र डोटाना (तिजारा) खैरथल-तिजारा

क्रमांक -1 **खुली निविदा सूचना** दिनांक :05.01.2026

सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ. स्वा. केन्द्र डोटाना (तिजारा) खैरथल-तिजारा द्वारा निम्न सेवाये उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत संस्था से निम्नानुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क.स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि रू.	निविदा शुल्क रू.	बोली प्रपत्र प्राप्ती की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3			6	7	8
1.	मशीन विद मैन (संविदा) कम्प्यूटर ऑपरेटर (1)	180000/-	3600	100	23.01.2026 12.00 PM	23.01.2026 1.00 PM	23.01.2026 2.00 PM
2.	सफाई कार्य	144000/-	2880	100	23.01.2026 12.00 PM	23.01.2026 1.00 PM	23.01.2026 2.00 PM

नियम एवं शर्ते-
1. निविदाऐं दोहरी बिड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा (क) तकनीकी बिड का होगा जिसमें अमानत राशि का डीडी/बैंकर्स चैक, समस्त वांछित डॉक्युमेंट की प्रमाणित छाया प्रति मय निविदा फार्म लगाया जायेगा। डीडी/बैंकर्स चैक राजस्थान मेडिक्येर रिलीफ सोसाइटी, डोटाना के नाम से व खैरथल-तिजारा शाखा पर देय होगा। दूसरा लिफाफा (ख) वित्तीय बिड का होगा, जिसमें सिर्फ प्रस्तावित दरें ही दी जावेगी । तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी ।
2. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 23.01.2026 को दोपहर 1.00 तक जमा की जायेगी तथा 23.01.2026 को दोपहर 2.00 निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। जो कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करा प्राप्त की जा सकती है ।
4. अधिक जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के सम्बन्ध मे समस्त अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी
प्राथ0स्वा0केन्द्र डोटना,(तिजारा)

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सदस्य अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
देव प्रकाश मीना व अन्य विरूद्ध जविप्रा व अन्य
रेफरेन्स संख्या 674 /25
स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 1863/25

अप्रार्थी संख्या- 2 लगायत 14, 2- श्री महावीर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये व्यवस्थापक नन्द किशोर मित्तल, पता कार्यालय 505 ए, क्रिस्टल मॉल, बनीपार्क, जयपुर। 3- वन्दना चौधरी पुत्री श्री हनुमान सिंह चौधरी, पता-भू.स. 175 ए से 185, झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, चौखी ढाणी के पास, टोंक रोड जयपुर। 4- सचिन चौधरी उर्फ सन्नी पुत्र नामालुम, पता- भू.सं. 175 ए से 185, झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, चौखी ढाणी के पास, टोंक रोड जयपुर। 5- पकज चौधरी पुत्र नामालुम पता- भू.सं. 190, झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, चौखी ढाणी के पास, टोंक रोड, तह. सांगानेर जयपुर। 6- रामकिशन चौधरी पुत्र नामालुम, पता-भू.सं.190. झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, चौखी ढाणी के पास, टोंक रोड, तह. सांगानेर जयपुर। 7- सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा पता- जेनेक्स वर्ड स्कूल भूखण्ड संख्या 192, से 196, झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, तह. सांगानेर, जयपुर। 8- जितेन्द्र शर्मा, पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा, पता- जेनेक्स वर्ड स्कूल भूखण्ड संख्या 192, से 196, झूलेलाल नगर, ग्राम बास बीलवा, तह. सांगानेर, जयपुर। 9- रमेश चंद मीणा पुत्र श्री छाजू मीणा, पता- बास बीलवा, चौखी ढाणी, के पास, टोंक रोड सांगानेर जयपुर। 10- बीरबल मीणा पुत्र नामालुम, पता- 262, झूलेलाल नगर, बास बीलवा, सांगानेर, चौखी ढाणी के पास, सांगानेर, जयपुर। 11- दुर्गेश स्वामी पुत्र नामालुम, पता- 465 ए. झूलेलाल नगर, बासबीलवा, टोंक रोड चौखी ढाणी के पास, सांगानेर, जयपुर। 13- भगवान सहाय शर्मा पुत्र नामालुम, पता- 466, झूलेलाल नगर, टोंक रोड जयपुरा बासबीलवा, 14- रामेश्वर प्रजापत पुत्र नामालुम पता- प्लॉट नं. 434 झूले लाल नगर, बास बीलवा टोंक रोड जयपुर।
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि उक्त न्यायालय में रेफरेन्स मय स्थगन प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 21.01.2026 को 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 16-1-26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मुहर
मुंसरिम
अपीलीय अधिकरण,
जयपुर विकास प्रधिकरण, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 04, कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड
श्रीमती आरती वर्मा बनाम भीम सिंह
मुकदमा नं. 52/2023
आगामी तारीख पेशी-09.02.2026

यह कि भीमसिंह पुत्र श्री लीलाराम मेघवाल निवासी लेकडी तहसील बानसूर जिला अलवर हाल निवासी इन्द्रा बस्ती, श्याम नगर, बहरोड जिला अलवर (जिला कोटपूतली-बहरोड)
उत्त प्रार्थिया श्रीमति आरती वर्मा ने इस न्यायालय में उत्त हिन्दु विवाह विच्छेद याचिका जेर दफा 13(क) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के निष्पादन हेतु आवेदन किया है।
अतः आपको आदेश चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 09 माह 02 सन 2026 को समय 10.30 ए.एम. में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
आदेश आज दिनांक 15 माह 01 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 04
कोटपूतली जिला-कोटपूतली-बहरोड

कार्यालय नगर निगम जयपुर

क्रमांक :- जसअ/2025/428 दिनांक: 13.01.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 08/2025-26

नगर निगम जयपुर द्वारा Annual rate contract for supply of computer operator and machine with man. हेतु पंजीकृत संचालक/फर्म से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि संपूर्ण विवरण वेबसाईट **www.jaipurmc.org**, **www.sppp.raj.nic.in**, **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के यूबीएन नं. **JMC2526SLOB02534** पर देखी जा सकती है।

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर
(उपनिदेशक)
नगर निगम जयपुर

राज.संवाद/सी/25/17723

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जयपुर)
E-mail :- eesanganerzone01@gmail.com

क्रमांक :- जसअ/2025/421 दिनांक: 12.01.2026

निविदा सूचना संख्या 221-231/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि. अभि. (सांगानेर जोन) से संबंधित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **http://sppp.raj.nic.in** & **www.jaipurmc.org** पर देखी जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का **Unique Bid Number JMC2526WSOB02490** से **JMC2526WSOB02500** है।

अधिशाषी अभियंता
सांगानेर जोन
नगर निगम जयपुर

राज.संवाद/सी/25/17728

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1140 चूंकि प्रार्थी श्री LAXMI KANT SHARMA 76-79, शेखावाटी नगर, कालवाड रोड, जयपुर-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सरस्वती विद्या मंदिर समिति 76-79, शेखावाटी नगर, कालवाड रोड, जयपुर-302012 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 18.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1147 चूंकि प्रार्थी श्री DRAGPAL SINGH GRAM RAMPURA POST BOROOA DISTRICT DAUSA 303507 RAJASTHAN 303507 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास वंदना विद्या मंदिर समिति GRAM RAMPURA POST BOROOA DISTRICT DAUSA 303507 RAJASTHAN 303507 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1160 चूंकि प्रार्थी श्री DARG PAL SINGH वासदेव नगर बारादरी के पीछे, दौसा-303303 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास अभिज्ञान चैरिटेबल ट्रस्ट रामदेव नगर बारादरी के पीछे, दौसा-303303 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1175 चूंकि प्रार्थी श्री BINDU SHARMA, 19/292 BEHIND POONAM TALKIES NEAR MAN CLUB MAIDAN ADARSH COLONY DAUSA ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास कमलम संस्थान, दौसा 19/292 ADARSH COLONY BEHIND POONAM TALKIES DAUSA के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1176 चूंकि प्रार्थी श्री जितेश खण्डेलवाल एस-21, लाल बहादुर नगर, आईएसटी एवेन्यु, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास [illegible] एस-21, लाल बहादुर नगर, आईएसटी एवेन्यु, जेएलएन मार्ग, जयपुर-302018 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम